राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
जनपद–सुलतानपुर

———————————

1. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या पीएस/जीएस/ एनआरईजीए 2007 दिनांक 15.05.2007 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना संचालित करने हेतु जनपद को अधिसूचित किया गया।
2. योजनान्तर्गत राज्य सरकार/शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम, नोटिस बोर्ड, पम्पलेट वितरण, दीवाल लेखन का कार्य दिनांक 06 जून 2007 से जनपद में प्रारम्भ किया गया।
3. योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु दिनांक 13.06.07 को जनपद की 1262 ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की खुली बैठक आयोजित करायी गयी, जिसमें जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। उक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो–दो परियोजनाओं का चयन कराकर उनकी ग्राम पंचायतों से अनुमोदित कार्य योजनायें प्राप्त की गयीं।
4. योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 15.06.07 को जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में बैठक आयोजित कराकर उनकी अनुमोदित कार्य योजनायें प्राप्त की गयीं।
5. योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों में से आवेदन–पत्र, जॉब कार्ड, आवेदन पत्र पंजिका, जॉब कार्ड पंजिका, प्रचार–प्रसार सामाग्री एवं मस्टर रोल आदि का मुद्रण कराकर उन्हें पंचायतों को उपलब्ध कराया गया।
6. योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद के 1262 ग्राम पंचायतों एवं 23 क्षेत्र पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं स्थानीय बैंकों में खुलवाकर ग्राम पंचायतों के खाते में सीड मनी का 1228.58 ला0रू0 क्रेडिट एडवाइस के माध्यम से हस्तान्तरित करायी गयी। इसी प्रकार 23 क्षेत्र पंचायतों के खातों में 614.29 ला0रू0 की धनराशि हस्तान्तरित की गयी।
7. योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक 20.06.2007 को जनपद स्तरीय अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों, फील्डस्तरीय कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें योजना के सफल क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
8. दिनांक 23.06.2007 को जनपदस्तर पर मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सुलतानपुर की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मा0 सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायक, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान की

विशेष कार्यशाला सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त नोडल विभाग के जनपदस्तरीय अधिकारियों/कार्यक्रम अधिकारियों/फील्डस्तरीय कर्मचारियों तथा मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी तथा उन्हें प्रचार–प्रसार सामाग्री भी उपलब्ध करायी गयी।

9. योजनान्तर्गत रोजगार गारण्टी दिवस एवं रोजगार गारण्टी सप्ताह के सफल आयोजन हेतु दिनांक 30.06.2007 को योजना से जुड़े समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं फील्डस्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक आहूत कर उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु उन्हें विस्तृत रूप से मार्गदर्शन दिया गया। इसी प्रकार सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली खण्ड विकास अधिकारियों की साप्ताहिक प्रगति समीक्षा बैठक में बराबर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

10. दिनांक 01.07.07 से 07.07.07 तक ग्राम सभाओं की बैठक कर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में दो–दो कार्य चिन्हित किये गये तथा रोजगार हेतु इच्छुक परिवारों के पंजीकरण हेतु फार्म तैयार कराकर उनके जॉब कार्ड जारी करने का कार्य किया गया।

11. दिनांक 08.07.07 को प्रातः 9.00 बजे से जिले के सभी 1262 ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्यों के नेतृत्व में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ 15 से 20 व्यक्तियों के जत्थे योजना से सम्बन्धित बैनर लिये हुए ग्राम की आबादी में योजना से सम्बन्धित हैण्डबिल बांटते हुए, योजना का प्रचार प्रसार करते हुए जिले की 187 न्याय पंचायत मुख्यालयों पर एकत्रित हुए। जिले स्तर से सभी 187 न्याय पंचायतों पर योजना के बारे में समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् जिलास्तरीय राजपत्रित अधिकारियों को गोष्ठी कराने हेतु निर्देशित किया गया। उनके व सहायक विकास अधिकारियों के निर्देशन में न्याय पंचायत मुख्यालयों पर गोष्ठी आयोजित की गयी।

12. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद श्री एल0वेकटेश्वर लू ने जनपद के विकास खण्ड कूरेभार के न्याय पंचायत इरूल में उक्त न्याय पंचायत की गोष्ठी को सम्बोधित किया, जिसमें न्याय पंचायत के सभी ग्राम प्रधान, सदस्य व लगभग 500 ग्रामीण उपस्थित थे। गोष्ठी में योजना से सम्बन्धित जानकारी देने के अतिरिक्त आयुक्त महोदय ने अन्य जनसमस्याओं की सुनवाई की।

13. जिलाधिकारी ने विकास खण्ड जयसिंहपुर की ग्राम पंचायत भभोट में तथा मुख्य विकास अधिकारी ने विकास खण्ड जयसिंहपुर की न्याय पंचायत भीखीपुर की गोष्ठी में सहभागिता की तथा मजदूरों के पंजीकरण, जॉब कार्ड वितरण कार्यों के चिन्हांकन, भुगतान व सामाजिक आडिट के विषय पर प्रकाश डाला।

14. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के स्तर से जनपद के सभी 23 विकास खण्डों हेतु एक–एक मण्डल स्तरीय अधिकारी को गोष्ठी में भाग लेने के लिए नामित किया गया। जिन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों के साथ उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया। साथ ही 3 से 5 न्याय पंचायतों के गोष्ठियों में प्रतिभाग किया।

15. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर ने विकास खण्ड जगदीशपुर के न्याय पंचायत मंगरौली में प्रतिभाग किया।

16. विकास खण्ड मुसाफिरखाना में क्षेत्रीय विधायक, श्री राम सेवक ने गोष्ठी में सहभागिता की।

17. जनपद में पंचायत मित्रों व तकनीकी सहायकों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी गयी है तथा शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कर इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

18. दिनांक 14.07.07 की बैठक में कार्यक्रम अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 15.00 ला0रू0 की कार्य योजना तैयार कराकर अनुमोदित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

19. जनपद के कार्यक्रम अधिकारियों से प्राप्त संकलित रिपोर्ट के अनुसार कुल 58462 आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 51372 जॉब कार्ड जारी किये जा चुके हैं। निरन्तर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर शीघ्र ही जॉब कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। श्रमिकों की मांग के अनुसार पंचायतों द्वारा 295 कार्य प्रारम्भ कराकर 36.54 ला0रू0 का भुगतान मजदूरी दिवस (शुक्रवार) तक कराकर 0.45 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन कराया गया, जिसमें 1733 महिला श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है।